विलोपन

19

न्यायालयः— राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2014 निगरानी. R 3094-I/14

1. रमेश पुत्र माधौ जाटव आयु— 48वर्ष व्यवसाय — खेती निवासी— ग्प्रम बरधा बुजुर्ग तहसील व जिला श्योपुर
2. इस्माईल पुत्र रहमत उम्र—55 वर्ष व्यवसाय— खेती निवासी— ग्प्रम बरधा बुजुर्ग तहसील व जिला श्योपुर

.........निगरानीकर्तागण

श्री पंकज पंत एडव्होकेट द्वारा आज दि. 15-9-14 को प्रस्तुत

15-9-14
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर
2. विशन पुत्र बद्री जाति सहर ग्प्रम बरधा बुजुर्ग तहसील व जिला श्योपुर

......प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहित विरूद्व आदेश दिनांक 30.04.11 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर जिला श्योपुर प्रकरण कमांक 67/10—11/170 ख पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर (श्री ए.एस. त्रिवेद्वी) द्वारा आदेश पारित करते हुये निगरानीकर्तागण के हित में जारी पट्टा को निरस्त किये जाने व्यथित होकर।

15/9/014

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:—

1. यहकि, निगरानीकर्तागण कमांक 1 ग्प्रम बरधा बुजुर्ग जिला श्योपुर का स्थायी निवासी है एवं निगरानीकर्ता कमांक 2 श्योपुर का स्थायी निवासी है निगरानीकर्ता क. भूमि सर्वे सर्वे न.812 मिन 3.135 है. में से रकवा 2. 090 है. तथा निगरानीकर्ता क.2 उक्त भूमि के रकवा 1.045 है. के आधिपत्यधारी कृषक हैं जिन्हें उक्त भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड से विधिक प्रकिया का पालन करते हुऐ पट्टे पर दी गई थी ।
2. यहकि, निगरानीकर्ता कमांक 1 को म.प्र. भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा दिनांक 15.10.1979 को उक्त भूमि का पट्टा विधिवत प्रदान किया गया था पटटा जारी दिनांक से आज दिनांक तक निगरानीकर्तागण उक्त भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3094-एक/14 जिला- श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.4.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री चंद्रेश श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक की ओर से शासन के पैनल अधिवक्ता । 2 आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निग0 अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 67/2010-11/170 ख पारित आदेश दिनांक 30-4-11 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निग0 के साथ धारा 5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 3 प्रकरण का सांराश इस प्रकार है कि ग्राम बर्धाबुजुर्ग की भूमि सर्वे क्रं. 812 मिन रकबा 3.135 हे0. पूर्व में बिशन पुत्र बद्री जाति सहर आदिवासी निवासी ग्राम बर्धाबुजुर्ग के नाम दर्ज थी जो अनूसूचित जनजाति के व्यक्ति है वर्तमान खसरें में उक्त भूमि अनावेदक इस्माईल पुत्र रहमत के नाम रकबा 2.090 हे0 तथा अनावेदक रमेश चंद्र के नाम 1.045 हे. खसरे में दर्ज हैं अनावेदक गैर अनूसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति है। राजस्व निरीक्षक/ मौजा पटवारी ने अंतरण की कोई जानकारी नहीं होने के कारण आवेदक का नाम पंचशाला खसरा से विलोपित होने से दुखित होकर यह निग0 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 4 उभय पक्ष के अधिवक्तागण तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में सलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से	

स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निग0 इस न्यायालय में लगभग 3 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 5 के आवेदन में जो कारण बताये गये हैं वह समाधानकारक नहीं है धारा 5 के आवेदन में आवेदक को मलेरिया, बुखार से गंभीर रूप से पीडित होकर चलने फिरने में असमर्थ होने का कारण बताया गया है जो समाधानकारक न होने के कारण क्षमा योग्य नहीं है। अत: आवेदक का अवधि विधान धारा 5 का आवेदन समाधानकारक नहीं होने के कारण यह निग0 ग्राह्यता पर ही अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय ही भेजा जावे।

सदस्य